सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 27, मंगलवार, *शाके* 1947- नवम्बर 18, 2025
Kartika 27, Tuesday, Saka 1947- November 18, 2025

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.)अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, नवम्बर 10, 2025

D-1087: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा बिजली की आपूर्ति हेतु **220 के वि ग्रिड सब स्टेशन कांवट हेतु 132 के वि एकल परिपथिय सांवलपुरा कांवट लाइन के निर्माण कार्य हेतु** मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।उक्त लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र. सं.	**गांवो के नाम**	**क्र. सं.**	**गांवो के नाम**
1	बालाजी नगर	5	खिरोटी (बुर्जा की ढाणी)
2	करड़का	6	बुर्जा की ढाणी
3	चीपलाटा	7	देवीपुरा
4	सकराय	8	थोई

लखपत लाल मीणा,

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि), अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।